महत्वपूर्ण

संख्या– 366/एक–11–2021–198/2020

प्रेषक,

रेणुका कुमार
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. चकबन्दी आयुक्त, उत्तर प्रदेश।

राजस्व अनुभाग–11 **लखनऊ : दिनांक : 02 जून, 2021**

विषयः– कोविड–19 की रोकथाम, बचाव व उपचार हेतु आम जनमानस में पी0ए0 सिस्टम (पब्लिक एड्रेस सिस्टम) से प्रचार–प्रसार किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि गत वर्ष कोविड–19 से बचाव एवं सुरक्षा से सम्बन्धित सुझावों/मानकों (यथा 2 गज की दूरी बनाए रखना, समय–समय पर हाथ धुलना, सैनेटाइज करना एवं मास्क लगाना आदि) का आम–जनमानस में निरन्तर प्रचार–प्रसार किये जाने हेतु जनपद के विभिन्न सार्वजनिक स्थलों यथा– समस्त मण्डलायुक्त कार्यालय परिसर, जिलाधिकारी कार्यालय परिसर समस्त तहसील परिसर एवं समस्त चकबन्दी कार्यालय परिसर में पब्लिक एड्रेस सिस्टम स्थापित किए जाने के निर्देश शासनादेश संख्या–785/एक–11–2020 दिनांक 28.09.2020 एवं प्रति यूनिट पब्लिक एड्रेस सिस्टम की न्यूनतम स्पेसिफिकेशन एवं दर सुनिश्चित करते हुये तत्समय निर्धारित नियमों के अनुसार क्रय किये जाने के निर्देश शासनादेश संख्या–798/एक–11–2020 दिनांक 13.10.2020 द्वारा दिये गये थे।

2. कोविड–19 की द्वितीय लहर से बचाव एवं सुरक्षा से सम्बन्धित सुझावों/मानकों (यथा 2 गज की दूरी बनाए रखना, समय–समय पर हाथ धुलना, सैनेटाइज करना, डबल–मास्क लगाना एवं वैक्सीनेशन कराये जाने आदि) का आम–जनमानस में निरन्तर व्यापक प्रचार–प्रसार किये जाने हेतु समस्त मण्डलायुक्त कार्यालय परिसर, जिलाधिकारी कार्यालय परिसर, समस्त तहसील परिसर एवं समस्त चकबन्दी कार्यालय परिसर में उपर्युक्त शासनादेशों के क्रम में स्थापित पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से प्रचार–प्रसार किया जाना अपेक्षित है।

3. अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कोविड–19 की द्वितीय लहर से बचाव एवं सुरक्षा से सम्बन्धित सुझावों/मानकों (यथा 2 गज की दूरी बनाए रखना, समय–समय पर हाथ धुलना, सैनेटाइज करना, डबल–मास्क लगाना एवं वैक्सीनेशन कराये जाने आदि) का आम–जनमानस में निरन्तर प्रचार–प्रसार किये जाने हेतु समस्त मण्डलायुक्त कार्यालय परिसर, जिलाधिकारी कार्यालय परिसर, समस्त तहसील परिसर एवं समस्त चकबन्दी कार्यालय परिसर में स्थापित पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से निरन्तर व्यापक प्रचार–प्रसार कराने का कष्ट करें।

भवदीया,

(रेणुका कुमार)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या– 366(1)/एक–11–2021, तद्दिनांक

1– प्रतिलिपि आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0 लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

2– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राम केवल)
विशेष सचिव।

GO-R-11/2021-200